यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

संदर्भ Ref.:नि.से.वि. ISD/255/2025-26 **दिनांक Date: October 20, 2025**

बीएसई लिमिटेड BSE Ltd. बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड National Stock Exchange of India Ltd. निप्स NEAPS स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK - EQ सिक्योरिटी Security – UBI-AT/BB

महोदया Madam / महोदय Sir,

विषय : अक्तूबर 30, 2025 गुरुवार को प्रस्तावित बैंक के निदेशक मण्डल की बैठक की सूचना.
Subject : Notice of Meeting of Board of Directors of the Bank scheduled on Thursday, October 30, 2025.

****

आपको सूचित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मण्डल की एक बैठक गुरुवार, 30 अक्तूबर, 2025 को प्रस्तावित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के बैंक के अलेखपारीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार किया जाएगा.	This is to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Bank is scheduled to be held on Thursday, October 30, 2025, inter-alia, to consider amongst others, the Unaudited Reviewed Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Bank for the Quarter ended on September 30, 2025.
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के संदर्भ में, पत्र संख्या आईएसडी/234/2025-26 दिनांक 25 सितंबर 2025 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि नामित व्यक्तियों और अन्य सभी इनसाइडर्स के लिए 01 अक्तूबर 2025 से लेकर बैंक के 30 सितंबर,2025 को समाप्त तिमाही के अलेखपारीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम की घोषणा से 48 घंटों के लिए बैंक की प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु व्यापार विंडो 'बंद रहेगा.	In terms of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, it was informed vide letter no. ISD/234/2025-26 dated 25th September 2025 that the 'Trading Window' for dealing in the securities of the Bank shall remain closed for the Designated persons and all other insiders from October 01, 2025 up to 48 hours after the declaration of Unaudited Reviewed Financial Results of the Bank for the Quarter ended on September 30, 2025.
यह जानकारी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29(1)(ए) और विनियम 50(1)(सी) के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है.	This information is furnished in terms of Regulation 29(1)(a) and Regulation 50(1)(c) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

MANGESH MANDREKAR
Digitally signed by MANGESH MANDREKAR
Date: 2025.10.20 15:17:32 +05'30'

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary